

# सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) सेक्टर 10, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ — 226 031 (भारत)

#### CSIR - Central Drug Research Institute

(Council of Scientific & Industrial Research)
10, Janakipuram Extension, Sitapur Road, Lucknow - 226 031 (India)



## <u>वैज्ञानिक भर्ती</u> विज्ञापन संख्या <u>09/2024</u>

ऑनलाइन आवेदन के लिए यूआरएल: https://cdri.res.in/092024

या

https://cdri.res.in\_पर 'वैज्ञानिक भर्ती 09/2024' लिंक पर जाएं

#### **SCIENTIST RECRUITMENT**

Advertisement No - 09/2024

URL for Online Application: https://cdri.res.in/092024

OR

Access link 'SCIENTIST RECRUITMENT- 09/2024 on https://cdri.res.in

ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि:

Start Date for Registration for Online Application:

सोमवार , 6 जनवरी, 2025, 10:00 बजे से , भारतीय मानक समय

Monday, 6 January, 2025, 10:00 Hrs IST

पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:सोमवार , 17 फरवरी, 2025, 23:59 बजे तक , भा॰ मा॰ स॰ Last Date for Registration & Submission of Online application: Monday, 17 February, 2025, 23:59 Hrs IST

औषधि, फार्मास्यूटिकल्स और बायोमेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कैरियर के लिए एक अनुठा अवसर

A unique opportunity for research career in Science & Technology in the area of Drugs,

Pharmaceuticals and Biomedical Research

सीएसआईआर-केंद्रीय औषिध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख संस्थान है जो बुनियादी और व्यावहारिक प्रकृति के बहुविषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में शामिल है। सीएसआईआर-सीडीआरआई भारत में एक अग्रणी जैव चिकित्सा अनुसंधान संगठन है और इसके पास अवधारणा से लेकर व्यावसायीकरण तक दवा विकिसत करने के लिए बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता है। वर्ष 2012 में, सीएसआईआर-सीडीआरआई अपने अत्याधुनिक नए परिसर में स्थानांतिरत हो गया, जिसे नई दवा की खोज और विकास में सीएसआईआर के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है। लगभग 61 एकड़ में फैले इस परिसर में अनुसंधान एवं विकास परिसर, सहायता सेवाएँ, अतिथि गृह, छात्रावास और कर्मचारी आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया <a href="http://www.cdri.res.in">http://www.cdri.res.in</a> को देखें।

CSIR-Central Drug Research Institute, Lucknow, a premier Institute under Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), is involved in multidisciplinary R&D programs of both basic and applied nature. CSIR-CDRI is a pioneer biomedical research organization in India and has the infrastructure and expertise to develop a drug from concept to commercialization. In the year 2012, CSIR-CDRI shifted to its state-of-the-art new campus, which has been set up with a vision to serve as a Nodal Center of CSIR in new drug discovery and development. Spread across ~61 acres, it houses an R&D Complex, Support Services, Guest House, Hostel and Staff Quarters. Please visit <a href="http://www.cdri.res.in">http://www.cdri.res.in</a> for further information.

फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, प्रयोगशाला पशु सुविधा (लैब एनिमल फैसिलिटी), परजीवी जीवविज्ञान( पैरासाइट बायोलॉजी), अंत:स्राव-विज्ञान (एंडोक्राइनोलॉजी) कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान, औषधीय प्रक्रिया रसायन विज्ञान (मेडिसिनल प्रोसेस केमेस्ट्री), विषविज्ञान और प्रायोगिक चिकित्सा (टॉक्सिकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन)एवं परियोजना प्रबंधन (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) के क्षेत्रों का विस्तार करने और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, संस्थान उत्साही, प्रतिभाशाली युवा शोधकर्ताओं / पेशेवरों की तलाश कर रहा है, जिनके पास उत्कृष्ट अकादिमिक रिकॉर्ड, प्रमाणित वैज्ञानिक उपलब्धियाँ और राष्ट्रीय मिशनों के साथ जुड़े संस्थान के अधिदेश के अनुसार अनुसंधान करने का उत्साह हो। उत्पाद विकास / प्रौद्योगिकी नवाचार / व्यावहारिक प्रौद्योगिकी / ट्रांसलेशनल अनुसंधान में शामिल अभ्यर्थियों को उचित भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। वैज्ञानिकों के लिए लचीली पुरक योजना (फ्लेक्सिबल कंप्लीमेंटिंग स्कीम) के अनुसार ये पद करियर के विकास के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करते हैं। With the aim to expand and strengthen the areas of Pharmaceutics and Pharmacokinetics, Lab Animal Facility, Parasite Biology, Endocrinology, Computational Chemistry, Medicinal Process Chemistry, Toxicology and Experimental Medicine & Project Management, the Institute is looking for enthusiastic, talented young researchers / professionals with brilliant academic record, proven scientific achievements and zeal to conduct research as per the mandate of the Institute aligned with National Missions. Due weightage will be given to the candidates involved in the product development/ technology innovation/applied technology / translation research. The positions offer exciting opportunities for career growth as per the Flexible Complementing Scheme for Scientists.

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले प्रेरित युवा भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मानदंडों के अनुसार विभिन्न पदों के लिए पारिश्रमिक और आयु सीमा का विवरण नीचे दिया गया है: -

Applications are invited from motivated young Indian Nationals with requisite qualification and experience for the following posts as per the details given below. The emoluments and age limit for various posts as per norms is summarized as below: -

Designation		Pay Level		Emoluments	**Upper Age Limit not exceeding (as on 17.02.2025)
Scientist	18 (SC-3, ST-1, OBC-5, EWS-1 & UR-8)	11	Rs. 67700/-	Rs. 127766/- (Approax.)	32 years

यूआर: अनारिक्षत; एससी: अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति; ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;

UR: Unreserved; SC: Scheduled Caste; OBC: Other Backward Class; EWS: Economically Weaker Section;

- लखनऊ शहर में टी ए/ डी ए तथा मकान किराया भत्ता सिहत न्यूनतम वेतनमान पर अनुमानित कुल परिलब्धियां।
- \* Approximate total emoluments on minimum of scale including TA, DA and House Rent Allowance in Lucknow City.
- \*\*कृपया Serial No. 3(<u>आयु सीमा एवं छूट</u> ) का अवलोकन करें।
- \*\*Please see Sl. No. 3 (age limit & relaxation)



Post	Area	Post	No of	Age Limit	Essential	Desirable	Job
Cod		Designatio	Posts &	&	Educational	qualification and	requirement/
е		n	Reservat	Emolumen	Qualifications	Experience &	Specification
			ion	ts	& Experience	•	#
001	Pharmaceutics	Scientist	2	Age limit:	Ph.D.	Experience in the	The
	and		(1-OBC &	32	(Submitted) in	area of development	candidate will
	Pharmacokineti		1 UR)	Pay Matrix	the area of	and validation of	be
	cs Division		,	Level-11	Pharmaceutical	HPLC and LC-MS/MS	responsible
				as per 7th	Sciences or		for
				CPC	equivalent.	analytical and bioanalytical	development and validation
						methods of	of analytical
						APIs/formulations,	and
						Pharmacokinetic	bioanalytical
							methods for
						studies, metabolite identification and	APIs/
						bio-distribution;	formulations
						-	from
						PK/PD modelling for	blood/plasma/ serum/tissue
						early drug discovery	samples,
						and development	design and
						program, animal	conduct of
						handling and	pharmaco-
						thorough	kinetics
						understanding of	studies in
						drug delivery.	rodents and
							non-human
						Master level course	primates, pharmacokine
						work in formulation	tic modeling,
						development and	metabolite
						Pharmacokinetics	identification,
						acheiving	in vitro ADME
						proficiency	studies,
						in drug delivery, HPLC	development
						and LC-MS/MS	of formulations
						analytical/bioanalytic	and delivery
						al methods and PK	systems in
						studies.	line with
						A record of peer	CDRI
						reviewed	mandate and
						publications in SCI	provide
						journals and/or	support for
						patents	drug discovery
						demonstrating	projects.
						expertise in	p. ejeete.
						Pharmacokinetic	
						studies.	
002.	Medicinal	Scientist	5	Age limit:	Ph.D.	Experience in	Design and
	Chemistry		(1-EWS,	32	(Submitted) in	- ,	synthesize
			1-ST, 1-	Pay Matrix	the area of	methodologies	novel
			OBC & 2-	Level-11	Chemical	designing of chemical	chemical compounds to
			UR)	as per 7th	Sciences/	compounds for	optimize
				CPC	Medicinal Chemistry or	biological activity	potency,
					Chemistry or equivalent	against disease-	selectivity,
					oquivalent	prioritized targets and	pharmacokine
		<u> </u>	1	i .	i	I	

	I	ı	1	1	1	46 - 10 46 1	4: :
						their synthesis. Experience in the use	tics, and in vivo efficacy.
						of in silico modeling	Analyze the
						tools for hypothesis-	data sets to
						driven design of novel	generate
						compounds and	structure-
						exploration of	activity
						-	relationships
						structure-activity	within the
						relationships.	chemical library.
						Experience in	Interface with
						structural	biological and
						determination using	pharmacologi
						spectroscopic	cal
						techniques as well as	collaborators
						knowledge of related	in the testing
						purification methods.	and
						A record of	development
						publications and/or	of interesting
						patent applications	compounds. The candidate
						demonstrating	is expected to
						proficiency in synthetic	take up
						chemistry/ medicinal	teaching
						chemistry	assignments
							in Pre-PhD
							courses too.
							Candidates
							are expected
							to write R&D projects in the
							respective
							areas for
							extramural
							funding
003.	Medicinal	Scientist	1-UR	Age limit:	PhD	Experience in	Apply state-
	Chemistry			32	(submitted)	methods of synthetic	of-the-art Med
				Pay Matrix	In the area of	and medicinal	Chem
				Level-11	Organic	chemistry.	approaches to
				as per 7th	Chemistry/	Experience in	synthesize PROTAC
				CPC	Medicinal	designing and	molecules
					Chemistry or	synthesizing	towards a
					equivalent.	PROTACs for	broad
						therapeutic	spectrum of
						applications.	diseases,
						A record of	including
						publications and/or	immune-
						patent applications	oncology, inflammation,
						demonstrating	and
						proficiency in	neurodegener
						PROTAC design and	ation such as
						synthesis.	Alzheimer's
							and
							Parkinson's
							diseases. The
							candidate is
							candidate is expected to take up

	1	1	T	1	ı			4 k !
								teaching
								assignments
								in Pre-PhD
								courses too.
								Candidates
								are expected
								to write R&D
								projects in the
								respective
								areas for
								extramural
								funding
004	Medicinal	Scientist	1-UR	Age limit:	Ph.D.		Experience in the area	Design small
	Chemistry			32	(Submitted)	in	- ' ' '	molecules for
				Pay Matrix	the area	of	generation,	lead
				Level-11	Chemical		optimization and	discovery and
				as per 7th	Sciences/		characterization of	optimization
				CPC	Medicinal		antibody-drug	with a focus
				1 3	Chemistry	or	conjugates.	on
				1	equivalent.			intermediates
				1			Experience in	for antibody-
				1			purification using liquid	-
				1			chromatography	conjugates.
				1			methods.	Create and
							A record of	perform
							publications and/or	conjugations
							patent applications	between
							demonstrating	proteins and
							_	small
							proficiency in ADC	molecules.
							development.	Carry out the
								antibody and
								conjugate validation via
								various functional
								tests. Carry out
								biophysical characterizati
								on of proteins
								and
								conjugates .
								The candidate
								is expected to
				1				take up teaching
				1				assignments
				1				in Pre-PhD
				1				courses.
				1				Candidates
				1				are expected
				1				to write R&D
				1				projects in the
				1				respective
				1				areas for
				1				extramural
				1				funding.
005		0	0	Age limit:	Ph.D.		Experience in	Initiate
000	Computational	Scientict						
	Computational	Scientist	2	_		J۳		
	Computational Chemistry	Scientist	2	32	(Submitted)	In		development of new

			(1-UR &	Pay Matrix	the area of	methodologies	models,
			1-SC)	Level-11	computational	(structure- and ligand-	algorithms
			. 55)	as per 7th	Chemistry/Mole	based approaches &	and
				CPC	cular	virtual screening,	methodologie
					Biophysics or	reaction modeling and	s to align with
					related area	computer assisted	the latest
					with focus on	synthesis planning), Al	developments
					Chemi-	& ML usage in drug	in the field.
					informatics/phar	discovery space.	Collaborate
					maco-	Experience in	with
					informatics or	molecular dynamic	colleagues in
					equivalent.	simulations, QSAR	medicinal
						and toxicity	chemistry and other teams
						predictions, free	for providing
						energy calculation,	scientific
						force field	knowledge
						development, density	obtained
						functional theory,	through
						quantum chemistry,	molecular
						and hybrid QM/MM	modelling,
						simulation. Experience	supporting
						in Chem-Informatics	small
						toolkits and packages	molecule drug
						(e.g. Schrodinger,	discovery. Identify areas
						Discovery Studio,	of application
						ChemAxon etc),	for Al in
						Proficiency in working	Chemistry
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and related
						in a Unix/Linux	Lifesciences,
						environment.	and develop
						Competency.	novel
						Experience in	algorithms to
						programming, code	drive data-
						development, and	driven drug
						software architecture.	discovery.
						A record of	
						publications and/or	
						patent applications	
						demonstrating	
						proficiency in	
						Computational	
						Chemistry.	
006	Microbial	Scientist	1-OBC	Age limit:	Ph.D.	1.Ph. D. with M. Sc. In	The candidate
	Infection			32	(Submitted) In	Microbiology/Biotechn	is expected to
				Pay Matrix	the area of	ology/Life Sciences	carry out
				Level-11	Microbiology/Bi	2. Postdoctoral	research in
				as per 7th	otechnology/Lif	experience	the area of
				CPC	e Sciences	3.Experience of	Microbial
						working with	Infections
						clinical/resistant	employing in vitro systems
							and animal
						microbial strains in	models (using
						BSL-2 and/or BSL-3	BSL-3/BSL-2
						facility.	facilities) to
						4. Experience in	understand
						animal models,	disease
							pathogenesis.
	i		•		1		-

						molecular microbiology, microbial genetics, genome/RNA sequencing, Drug	The focus will be on ESKAPE pathogens or Mycobacteriu m.
						screening, mechanistic studies and data analysis as evidenced by publications in peer reviewed SCI journals.	The candidate will also be expected to run target based or mechanism driven drug discovery
							programs for the identification of antimicrobial hits and leads.
007	Animal Genetics and Breeding	Scientist	1-OBC	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	M.V.Sc in the area of animal genetics and animal breeding.	PhD in the area of animal genetics and animal breeding. Experience in breeding and maintenance of rodent / non-rodent colonies / transgenic animals /embryo cryopreservation and rederivation techniques.	incumbent is expected to plan and execute the breeding programme of rodents and non-rodents. The incumbent should also look after the daily management of the laboratory animal facility, participate in health monitoring of animals and experimentati on.
008.	Reproductive Biology (Male Reproduction)	Scientist	1-UR	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	MD/MVSc. In Life Science or Ph. D. (submitted) in Life Science	unraveling the molecular mechanisms regulating male / female reproductive biology. Molecular processes underpinning	Planning and execution of basic and translational research projects in the area of male reproductive biology including cell biology, cell signaling, contraception and

						demonstrating proficiency in the field.	development & validation of novel in vitro and animal models in the area.
009.	Reproductive Biology (Female Reproduction)	Scientist	1-OBC	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	MD/MVSc. In Life Science or Ph.D. (submitted) in Life Science	Ovarian biology (Ovulation, Fertilization, Endocrinology, etc.), Endometrial biology (Preimplantation and post-implantation	projects in the area of female reproductive biology
010	Toxicology and Experimental Medicine	Scientist	2 (1-UR & 1-SC)	Age limit: 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	,	toxicity evaluation protocols required for development of NCEs and biologicals, handling of rodents and other laboratory animals.  A record of publications in peerreviewed SCI journals demonstrating proficiency in drug development/toxicolog Y.	supporting drug discovery projects.
011	Project Management	Scientist	1-SC	Age limit : 32 Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC	Ph.D. (submitted) in the area of Life Sciences or Chemical Sciences or Pharmaceutical		* Coordination of planning of R&D Programs. * Monitoring, risk

			Sciences	or	Research		management,
			equivalent		Management in	the	and reporting
					CSIR/		of
					DBT/DST/DRDO		institutional,
					Organizations/		national and
					Institutes/ Phar		international
						ma	projects/
					Industries		Programs
							being
							implemented;
							* Preparation
							of institutional
							reports,
							publications,
							and technical
							documents;
							*Pre-Grant
							and Post-
							Grant
							Management
							as per
							standard
							practices/guid
							elines of
							national and
							international
							funding agencies
							agendes
							* Any tasks
							assigned in
							the area of
							S&T
							Management.
		l l					i

## सामान्य जानकारी और शर्तें General Information and Conditions

# 1) <u>परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:</u> Benefits under Council service:

इन पदों पर सामान्य भत्ते जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं और जैसा कि सीएसआईआर कर्मचारियों को तैनाती के स्थान पर लागू होते हैं जैसे कि महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि प्राप्त होंगे । परिषद के कर्मचारी सीएसआईआर आवास आबंटन नियम के अधीन उपलब्धता के आधार पर आवास के हकदार भी हैं। । यदि परिषद का आवास या सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।

These posts carry usual allowances i.e., Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) etc. as admissible to the central government employees and as made applicable to CSIR employees at the place of posting. Council employees are also entitled to accommodation according to the CSIR Residence Allotment Rules, subject to availability. If council or government accommodation is utilized, HRA will not be provided.

॥. प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए दर्शाई गई पिरलिब्धियों के अतिरिक्त, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ते आदि जैसे लाभ भी सीएसआईआर/भारत सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं, जो परिषद कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

In addition to the emoluments indicated against each category of posts, benefits such as reimbursement of Medical Expenses, Leave Travel Concession and Children's Education Allowances etc. are also available as per CSIR/Govt. of India (GoI) Rules as applicable to the Council Servants.

III. चयनित अभ्यर्थियों को सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए परिभाषित अंशदान के आधार पर 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' या विद्यमान पेंशन प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

The selected candidates will be governed by the 'National Pension System' or Extant Pension System based on defined contributions as adopted by CSIR for its employees.

।v. सीएसआईआर समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार, वैज्ञानिकों के लिए मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों को करियर में उन्नति के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

CSIR provides excellent opportunities to deserving candidates for career advancement under Assessment Promotion scheme for Scientists, as per rules as amended from time to time.

V. योग्य उम्मीदवारों को सीएसआईआर भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, चयन सिमिति की सिफारिशों के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए विचार किया जा सकता है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन है।

Deserving candidates may be considered for advance increments based on recommendations of the Selection Committee, subject to acceptance by the Competent Authority, in accordance with the provisions outlined in the CSIR Recruitment and Promotion Rules.

VI. सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा )आचरण (नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा )वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील (नियम, 1965, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मौलिक और पूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम और आदेश परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

In regard to all the matters concerning service conditions of employees of the Society, Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the Fundamental and Supplementary Rules framed by the Govt. of India and suchother rules and orders issued by the Govt. of India from time to time shall apply to the extent applicable to the employees of the Council.

VII. सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व) एआईएसएल (लागू होगा, अर्थात चयनित होने पर उम्मीदवार को देश में कहीं भी सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

All the posts carry All India Service Liability (AISL) i.e. the candidate on selection may be asked to serve anywhere in the country.

## 2) <u>अन्य शर्तैः</u> Other conditions:

- a. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। The applicant must be a citizen of India.
- b. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पद की आवश्यक आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास उस पद के लिए आवश्यक योग्यता/अनुभव है जिसके लिए वे अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। पात्रता के बारे में पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

All applicants must fulfill the essential requirements of the post and other conditions specified in the advertisement by the last date of receipt of online application. Applicants are advised to ensure that they possess the essential qualifications/experience for the post(s) against which they are submitting their application(s). Inquiries regarding eligibility will not be entertained.

c. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव न्यूनतम हैं तथा ये संबंधित पोस्ट कोड के सामने उल्लिखित क्षेत्र में होनी चाहिए। निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव रखने मात्र से उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता।विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी।इसलिए आवेदकों को अपने आवेदन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त सभी प्रासंगिक/संगत जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जो उचित दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो।उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी पूर्ण और सटीक है। पीएचडी )प्रस्तुत (के साथ पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अपने शोध प्रबंध जमा करने की तिथि का वैध दस्तावेजी प्रमाण शामिल करें।पीएचडी/मास्टर्स डिग्री की पूर्णता को अनंतिम प्रमाण पत्र/परिणाम की अधिसूचना/ अवार्ड किए जाने की तिथि,

जारी होने की तिथि जैसा भी मामला हो, से माना जाएगा। उम्मीदवारों को जहां भी लागू हो, पीएचडी थीसिस/एम.टेक शोध प्रबंध का एक पृष्ठ का सारांश/सार अपलोड करना आवश्यक है।

The prescribed essential qualifications/experience are minimum and should be in the area as mentioned against respective post code. Mere possession of the prescribed essential qualifications/experience does not entitle candidates to be called for the interview. Duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short-listing the candidates for interview. Applicants should therefore provide all relevant information over and above the prescribed minimum qualification in their application, supported by appropriate documentation. Candidates must ensure that all information is complete and accurate. Candidates applying for the position with a Ph.D. (submitted) are advised to include valid documentary proof of their thesis submission date, issued by the appropriate authority of their University/Institution. Completion of Ph.D/Masters Degree will be reckoned from the date of issue of Provisional Certificate/Notification of Result / Awarded Date, as the case may be. The candidates are required to upload one page Synopsis/ Abstract of Ph. D thesis/ M.Tech dissertation, wherever applicable.

वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत आवेदकों को अपने विभाग या कार्यालय को सूचित करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र) "एनओसी (अपलोड करना होगा) संलग्न प्रारूप के अनुसार(, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

Applicants currently working in CSIR/ Government Organizations /Autonomous Bodies/ Statutory Bodies/Universities/PSUs etc., as regular employee must inform their department or office and upload a "No Objection Certificate" (NOC) from their employer at the time of submitting the online application (as per attached format), failing which their candidature will NOT be considered.

e. बिना विधिवत भरे या बिना अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के अपलोड किए गए आवेदनों को पूर्णतया <u>खारिज /अस्वीकार कर</u> दिया जाएगा।

Applications not duly filled or uploaded without required certificates / documents will be summarily rejected.

f. उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन केवल ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत की है; चयन के बाद भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और सीएसआईआर ऐसी झूठी/गलत जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सटीक और सही है।

The screening and selection of candidates will be conducted on the basis of the documents and information provided in the online application only. If at any stage it is discovered that a candidate does not meet the prescribed eligibility criteria or has submitted incorrect or false information in the application form; their candidature will be cancelled, even after selection and CSIR-CDRI will not be responsible for any consequences resulting from the submission of such false/inaccurate information. Therefore, the candidates must ensure that all information provided in the online application are accurate and correct.

g. यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में निर्दिष्ट योग्यता के बराबर योग्यता का दावा करता है, तो उसे एक आदेश/अधिसूचना या पत्र प्रदान करना होगा जिसमें उस प्राधिकारी )संख्या और दिनांक सिहत (का उल्लेख हो जो इस समतुल्यता को मान्यता देता है। ऐसे दस्तावेज प्रदान न करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। योग्यता की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

If a candidate claims a qualification as equivalent to those specified in the advertisement, they must provide an order/notification or letter indicating the authority (including number and date) that recognizes this equivalence. Failure to provide such documentation may result in the rejection of the application. The decision of the competent authority of CSIR concerning the equivalence of qualifications and the recognition of Universities/Institutes shall be final and binding.

h. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद गिनी जाएगी।

The period of experience in a discipline/ area of work, wherever prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualifications.

i. यदि कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन के साथ हिंदी या अंग्रेजी में authorise स्व-सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

If any document or certificate is in a language other than Hindi or English, a self-attested authorised transcript in Hindi or English is to be submitted with the application.

j. ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी।

The date for determining the upper age limit, qualifications and /or experience shall be the closing date prescribed for submission of online applications i.e. last date of submission of online application.

k. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों )PwBD) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि पद उनके लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

Persons with benchmark disabilities (PwBD) fulfilling the eligibility conditions prescribed under GOI instructions are encouraged to apply. Relaxation in age limit shall be applicable irrespective of the fact whether the post is reserved for them or not, provided the post is identified suitable for the Persons with Benchmark Disabilities.

गिंदि कोई उम्मीदवार विदेश में रह रहा है, तो वह ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल होने का अनुरोध कर सकता है या चयन सिमित द्वारा अनुपस्थिति के दौरान उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सकता है। यह अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

If a candidate is residing abroad, they may request to attend the interview online or have their candidature considered *in-absentia* by the Selection Committee. This request must be submitted in writing. However, the decision of the appointing authority in this regard shall be final and binding.

m. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए और योग्य पाए गए केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही यात्रा के वास्तविक स्थान से या उनके निवास के सामान्य स्थान से जो भी साक्षात्कार के स्थान के नजदीक हो, आने-जाने के लिए एकल द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि वे नियमानुसार रेल टिकट/रेल टिकट संख्या या भारत के भीतर की गई यात्रा का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें। रेल द्वारा न जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क यात्रा के लिए, इस विषय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, दस्तावेजी प्रमाण (बस टिकट) प्रस्तुत करने पर वास्तविक बस

किराया या सबसे कम दर पर रोड माइलेज की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

Only outstation candidates called and found eligible for interview may be paid single to and fro secondclass rail fare from the actual place of undertaking the journey or from the normal place of their residence whichever is nearer to the place of interview on production of Rail Tickets/Rail Ticket Numbers or any other proof of journey performed within India, as per rules. For road journeys between stations not connected by rail, the actual bus fare or road mileage at the lowest rate, may be reimbursed on production of documentary proof (bus tickets), as per Gol instructions on this subject.

n. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि वैध दस्तावेजों/शपथपत्र द्वारा समर्थित न हो। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी।

Any discrepancies between the information provided in the application and the original documents will render the candidate ineligible unless supported by valid documents/ affidavit. In such cases, the candidate will also not receive reimbursement for travel fare.

- o. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन से संबंधित सभी मामलों में उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । इस संबंध में उम्मीदवार की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। The decision of the Appointing Authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, conduct of examination/interview will be final and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidate.
- p. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

Canvassing in any form and / or bringing any influence political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.

प्रत्येक श्रेणी/पद के लिए दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा चयन के समय इसमें परिवर्तन हो सकता है। The number of vacancies indicated against each category/post is provisional and may vary at the time of selection.

q. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मितिथि और मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष मार्कशीट/प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मितिथि को आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार/मंजूर नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट में जन्मितिथि उपलब्ध नहीं है, तो जन्मितिथि दर्शाने वाले स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।

Date of Birth filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the Matriculation/10th Standard or equivalent mark-sheet/certificate indicating date of birth will be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered /granted. Where date of birth is not available in certificate/ mark sheets, issued by concerned Educational Boards, School leaving certificate indicating Date of Birth will be considered.

r. नियुक्ति प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा यदि आवश्यक हो तो किसी भी या सभी पदों को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।

The Appointing Authority reserves the right to cancel the advertisement without providing any reason and may also decide not to fill any or all positions, if necessary.

s. साक्षात्कार की तिथि, स्क्रीनिंग/चयन समितियों की सिफारिशें, उपयोग किए गए मानदंड, तथा इस विज्ञापन से संबंधित कोई

भी अन्य अपडेट, नोटिस, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र केवल सीएसआईआर-सीडीआरआई की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी; इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसआईआर-सीडीआरआई की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

Notifications about the date of the interview, the recommendations of the Screening/Selection Committees, the criteria used, and any further updates, notices, addendum or corrigendum related to this advertisement will be posted solely on the CSIR-CDRI official website. No individual notifications will be sent to candidates; thus the candidates are advised to check the CSIR-CDRI official website regularly.

t. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक निश्चित अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अविध को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

The selected candidates will be on probation for a specific period from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority. After successful completion of probationary period, they will be considered for confirmation in accordance with the extant rules.

u. जहां पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में एक विशिष्ट क्षेत्र या विषय की आवश्यकता होती है और यदि यह उम्मीदवार की अंकतालिका और/या संबंधित विश्वविद्यालय से डिग्री प्रमाण पत्र से स्पष्ट नहीं होता है, तो उम्मीदवारों को अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज प्रदान करने होंगे, अन्यथा, ऐसे दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

Where a specific area or discipline is required as eligibility criteria for the post and if the same is not evident from the candidate's marks sheet and/or degree certificate from the concerned university, the candidates must provide valid document(s) to substantiate their claims, else, the decision of the Screening Committee regarding the acceptance or rejection of such claims will be final and binding on the candidates.

v. अभ्यर्थियों को यह बताना चाहिए कि क्या सीएसआईआर, सीएसआईआर-सीडीआरआई या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में उनका कोई रक्त संबंधी/निकट संबंधी कार्यरत है अर्थात ]सरकारी कर्मचारी के संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से रक्त संबंध या विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं [1

Candidates should indicate as to whether any of their blood/close relatives [relation to a Government servant include the wife or husband, son or daughter, parents, brothers or sisters or any person related to any of them by blood or marriage, whether they are dependent on the Government servant or not] is working in CSIR, CSIR-CDRI or any other National Labs/ Institutes/ Units of the CSIR.

w. इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की असंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

In the event of any inconsistency between Hindi and English version of this advertisement, the English version shall prevail.

x. किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर उल्लिखित हेल्पडेस्क संपर्क केवल आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने से संबंधित परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए है।

NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED.

The Helpdesk contact mentioned on the website for online application is for resolution of operational issues related to online submission of application form only.

## 3) आयु सीमा एवं छट:

## **Age limit & Relaxations:**

a. अनुसूचित जाित [एससी] / अनुसूचित जनजाित [एसटी] के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग [ओबीसी (एनसीएल)] के लिए 03 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों के संबंध में होगी जहां पद / रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।

The upper age limit shall be relaxed by 05 years for Scheduled Caste [SC]/ Scheduled Tribe [ST] and 03 years for Other Backward Class [OBC (NCL)], as per Government orders in force, only in respect of those cases where the posts/ vacancies are reserved for respective categories.

b. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित पदों से इतर अर्थात अनारक्षित (यूआर) पदों के लिए आवेदन करते हैं वे आयु में छूट के लिए पात्र नहीं हों गे और उनके चयन के संबंध में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के समान माना जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू है]

SC/ST/OBC(NCL) candidates who apply against the posts not reserved for them i.e. Unreserved (UR) posts will not be eligible for age relaxation and they will be treated at par with general candidates in respect of their selection [Application Fee Exemption is, however, applicable for SC and ST candidates in such cases].

c. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी जैसे कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट एसडीओ, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

Candidates belonging to the reserved categories of SC/ST/OBC (NCL) must upload a scanned copy of their certificate with their applications. This certificate should be in the prescribed format and issued by the Competent Authority authorized to issue such certificates, such as the SDO, District Magistrate, or Deputy Commissioner, as specified by the Government of India.

d. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में होने चािहए। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्रों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-क्रीमी लेयर मानदंडों को भी पूरा करना चािहए, न कि संघ के किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए, जिसमें उन राज्य सरकारों के आदेशों का संदर्भ हो।

SC/ST/OBC certificates should be in the prescribed formats for appointment to posts under the Government of India (GoI). The OBC (Non-Creamy Layer) certificates must also meet the Non- Creamy Layer criteria for appointment to

posts under the GoI as laid down by the GoI and not for appointment in any of the States of Union bearing references to those State Govt. orders.

e. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों के आधार पर होगी, और उनकी उपजाति इस सूची में प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं मानी जाएगी और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारिक्षत (यूआर) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" में ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी।

Eligibility for OBC candidates will be based on castes listed in the Central List of the Government of India, and their sub-caste must match the entries in this list; otherwise, their candidature will not be considered under any reserved category and will be treated as Unreserved (UR), if otherwise eligible. OBC candidates in the "Creamy Layer" are not entitled to concessions available to the OBC category and must indicate their category as General.

f. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) को अपने दावे के समर्थन में एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

The OBC (Non-Creamy Layer) are required to additionally furnish a 'Form of Declaration' supporting their claim that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediate preceding three financial years.

g. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस आदि उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाण पत्र, जब भी पूछा जाए, प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों । उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। हालांकि, विशिष्ट श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के दावे को इस विषय पर भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

SC/ST/OBC (NCL)/PwBD/EWS etc. candidates are required to present the original certificate in the prescribed format, signed by the specified authority, as and when asked. Candidate must upload scanned copy of the requisite certificate along with online application. However, the claim of the candidate belonging to specific category will be regulated as per extant GoI guidelines on the subject.

n. विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में भी पांच वर्ष तक की छूट दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की आयु छूट सिहत अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी प्रकार, ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के लिए 3 वर्ष की आयु छूट सिहत अधिकतम 8 वर्ष तक की छूट मिलेगी। यह छूट ऐसे विभागीय उम्मीदवारों को स्वीकार्य होगी, जिन्होंने 3 साल की निरंतर सेवा की है और ऐसे पदों पर काम कर रहे हैं जो समान पंक्ति या संबद्ध कैडर के हैं और जहां यह संबंध स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से की गई सेवा उस पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी, जिस पर भर्ती की जा रही है। इस संबंध में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी के पास होगा।

Upper age limit is also relaxable upto five years for the departmental candidates. This implies that Scheduled Castes/Schedules Tribes category candidates would get maximum 10 years of age relaxation including 5 years age relaxation meant for their respective categories. Similarly, OBC(NCL) candidates would get maximum upto 8 years including 3 years of age relaxation meant for OBC(NCL) category]. This relaxation will be admissible to such departmental candidates which are with 3 years continuous service and working in posts which are in the same line or allied cadre and where a relation could be established that the service already rendered in that particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of the post to which recruitment is being made. The decision in this regard will rest with the appointing authority.

i. विभागीय उम्मीदवार की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले तथा इस पैरा के तहत आयु में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को अपने नियोक्ता से कार्यालय के लेटर हेड पर विज्ञापन की तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि वह नियमित रूप से नियुक्त है तथा आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध आधार पर कर्मचारी नहीं है।

A candidate claiming to belong to the category of departmental candidate and thus seeking age relaxation under this para would be required to produce a Certificate issued after the date of advertisement from his/her Employer on the Office letter head to the effect that he/she is regularly appointed and not on casual/ad-hoc/daily wages/hourly paid/contract basis employee.

j. विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पित से न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी गई है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरिक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक ) लेकिन शैक्षिक योग्यता या भर्ती की पद्धित में कोई छूट नहीं दी गई है । इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे :

The upper age limit is relaxable up to the age of 35 years for Widows, divorced Women and Women Judicially separated from their Husbands who are not remarried but no relaxation of educational qualification or method of recruitment (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribe candidates in respect of the posts reserved for them). The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce following documentary evidence:

i.विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा यह शपथ पत्र कि उसने उसके बाद में पुनर्विवाह नहीं किया है। In case of Widow, Death Certificate of her husband together with the Affidavit that she has not remarried since.

ii.तलाकशुदा महिलाओं और अपने पितयों से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ एवं यह भी कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।

In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands, a certified copy of the judgment/decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an Affidavit in respect of divorced Women and they have not remarried since.

k. आयु में 10 (दस) वर्ष की छूट [इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 15 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी, जिसमें उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी प्रकार, ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जिसमें ओबीसी श्रेणी के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट शामिल है], ऊपरी आयु सीमा में छूट भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित मानक दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाएगी: (i) श्रेणी ए - अंधापन और कम दृष्टि (लो विजन); (ii) श्रेणी बी - बहरापन और कम सुनने की क्षमता (हार्ड ऑफ हियरिंग); (iii) श्रेणी सी- मस्तिष्क पक्षाघात सिहत चलने-फिरने में अक्षमता, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास ; (iv) श्रेणी डी - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी;(v)श्रेणी ई -खंड(ए)से (डी) के अंतर्गत बहरापन/अंधापन सिहत बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्ति।

Age relaxation of 10 (Ten) years [This implies that Scheduled Castes/Schedules Tribes category candidates would get maximum 15 years age relaxation including 5 years meant for their respective categories. Similarly, OBC candidates would get maximum upto 13 years including 3 years age relaxation meant for OBC category] in upper age limit shall be allowed to persons suffering from the following benchmark disabilities as per GOI instructions: (i) Category A - blindness and low vision; (ii) Category B - deaf and hard of hearing; (iii) Category C - locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (iv) Category D - autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (v) Category E - multiple disabilities from amongst persons under clauses (A) to (D) including deaf/blindness.

दिव्याङ्ग व्यक्तियों को आयु में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरिक्षत
 है या नहीं, बशर्ते कि पद दिव्यांगता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त हो।

The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for person with disabilities or not, provided the post is identified suitable for the relevant category of disability.

नोट: उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी।

Note: Definition of the above specified disabilities will be as per "THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016".

इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पदों में शर्तीं/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे, जो प्रासंगिक बेंचमार्क विकलांगता के 40% से कम नहीं हैं। जिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) ने छूट का लाभ उठाया है, उन्हें "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017 दिनांक 15.06.2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18(1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 (अब निरस्त) के तहत जारी दिव्यांगता के मौजूदा प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बने रहेंगे। किसी भी मामले में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति सीधे चयन द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक व्यक्तिगत ग्रुप 'ए' पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी।उनके द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।

The persons claiming age relaxation under this sub-para would be eligible for relaxation in conditions/ reservation in posts who suffer from not less than 40% of relevant benchmark disability. Those Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) who have availed the relaxation will have to submit Certificate of Disability issued by the Competent Authority as per the form V, VI and VII of rule 18(1) under chapter 7 of Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 dated 15.06.2017. The existing certificates of disability issued under the Persons with Disabilities Act 1995 (since repealed) shall continue to be valid for the period specified therein. In any case, the appointment of these candidates will be subject to their being found

medically fit in accordance with the standards

of medical fitness as prescribed by the Government for each individual Group 'A' posts to be filled by Direct Recruitment by Selection. No Application Fee is payable by them.

कृपया ध्यान दें, दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी जाति/समुदाय जैसे कि एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ जनरल / ईडब्ल्यूएस का उल्लेख करना चाहिए और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षैतिज आरक्षण है। दिव्यांग श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) आवेदन किए गए पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

#### PLEASE NOTE, PWBD CANDIDATES SHOULD MENTION IN APPLICATIONS, THEIR CASTE/

COMMUNITY LIKE SC/ST/OBC(NCL)/GEN/EWS and also produce Certificate of the concerned Caste/Community, as this is a horizontal reservation. A candidate under the category PwBD will be considered to be eligible for appointment only if he/ she (after such physical examination as the appointing authority may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the applied posts.

m. ईडबल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के समय डीओपीटी के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरक्षण) तथा इस संबंध में भारत सरकार के किसी अन्य लागू निर्देश के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा, ईडबल्यूएस उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की निर्णायक/कट-ऑफ तिथि पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक/कट-ऑफ तिथि के बाद तथा बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

The benefit of reservation under EWS category will be regulated as per DoPT OM No. 36039/1/2019-Estt.(Res.), dated 31.01.2019 and any other GoI instructions applicable in this regard, at the time of last date of submission of application. Further, the crucial/cut-off date for submitting Income and Asset certificate by the EWS candidate will be the closing date for receipt of application for the post. Income & Asset Certificates issued subsequent to the crucial/cut-off date and for the later Financial Year shall not be accepted.

n. इसके अलावा, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त, 2022 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 होगा और प्रमाण पत्र 2022-2023 के लिए वैध होगा।

Further, Family Gross Annual Income shall be computed for the financial year prior to the year of last date of submission of online application. For example, if the closing date for receipt of application for a post is August, 2022, the financial year for computing gross annual income of the family shall be 2021-2022 and the certificate shall be valid for 2022-2023.

- o. अन्य कोई भी आयु छूट भारत सरकार/सीएसआईआर भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी। Any other Age relaxation shall be applicable as per extant GoI/ CSIR Recruitment Rules.
- p. सीएसआईआर के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्व अनुमोदन से असाधारण मेधावी उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित सीमा, शैक्षिक योग्यता और/या अनुभव के अतिरिक्त आयु में छूट पर विचार किया जा सकता है।

Relaxation in age, over and above the stipulated limit, educational qualification and / or experience may be considered in the case of exceptionally meritorious candidates with the prior approval of DG, CSIR as per extant CSIR guidelines.

# 4) चयन का तरीका: MODE OF SELECTION:

a. केवल निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने से ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टिलस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी:

Mere fulfilment of prescribed essential educational qualifications does not entitle a candidate to be called for interview. The duly constituted Screening Committee will adopt its own criteria for short- listing the candidates to be called for interview by any one or more of the following methods:

- o उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। On the basis of higher educational qualifications.
- o संबंधित क्षेत्र में वांछनीय योग्यता और/या वांछनीय अनुभव के आधार पर या विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता के आधार पर ।

  On the basis of Desirable Qualifications and/or Desirable Experience in the relevant field or higher than the minimum prescribed in the advertisement.
- o पेटेंट दायर किए जाने, एससीआई/पीयर रिव्यूड जर्नल आदि में प्रकाशनों के आधार पर। On the basis of patent filed, publications in SCI/ Peer Reviewed journals, etc.
- o वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशनों की गुणवत्ता, संख्या और लेखकत्व (अर्थात प्रथम लेखक या सह-लेखक, करेस्पोंडिंग लेखक आदि) के आधार पर।

On the basis of quality, number and authorship (i.e. whether first author or co-author, corresponding author etc.) of Scientific Journal Publications.

o शोध प्रकाशन/पीएचडी थीसिस के विषय से निर्धारित अनुसंधान विशेषज्ञता/पीएचडी विषय/क्षेत्र के आधार पर।

On the basis of research specialization/ Ph. D discipline determined from the topic of research publication/ Ph. D Thesis.

o लिखित परीक्षा/सेमिनार के आधार पर।

On the basis of written test/ seminar.

- o आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव की गणना करके।
  - By counting experience after the acquisition of essential qualifications.
- o उन मामलों में भी अनुभव के आधार पर जहां आवश्यक योग्यता (ईक्यू) या वांछनीय योग्यता (डीक्यू) के रूप में कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

By invoking experience even in cases where there is no experience mentioned either as Essential Qualification (EQ) or as Desirable Qualification (DQ).

o स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य पद्धति।

Any other methodology as deemed fit by the Screening Committee.

(अतः अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख दस्तावेजों सिहत करना चाहिए।)

(The candidate should therefore mention all qualifications and experience possessed by them in the relevant area over and above the minimum prescribed qualifications, supported with documents).

b. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी नवाचार/ट्रांसलेशनल अनुसंधान/ व्यावहारिक (applied) प्रौद्योगिकी आदि में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उचित महत्व दिया जाएगा। तदनुसार, ऐसी उपलब्धियों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को, यदि कोई हो. तो उन्हें सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में उनका उल्लेख करना होगा।

Due weightage will be given to the candidates having experience in product development/ technology innovation/ translational research/ applied technology etc. during the recruitment process. Accordingly, candidates claiming such achievements, if any, must mention them in the online application along with supporting documents.

# आवेदन कैसे करें: HOW TO APPLY:

a. योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट <a href="https://www.cdri.res.in">https://cdri.res.in</a> पर जाकर या <a href="https://cdri.res.in">https://cdri.res.in</a> पर उपलब्ध "वैज्ञानिक भर्ती-09/2024" लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Eligible candidates are required to apply ONLINE by accessing the website https://www.cdri.res.in or accessing the link "SCIENTIST RECRUITMENT- 09/2024\_available on https://cdri.res.in"

b. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन आवेदन कैसे करें" निर्देश, "शुल्क भुगतान प्रक्रिया' और 'आवेदन प्रतिकृति' देखें।

For online application process please refer "How-to-apply online" instructions, "Fee Payment Procedure' and 'Application Replica' available on the above- mentioned website.

- - i) पंजीकरण [ऑनलाइन] ii) शुल्क जमा करना [ऑनलाइन], यदि लागू हो। iii) ऑनलाइन आवेदन जमा करना।

The application is to be submitted in three distinct steps within prescribed timeline, as below: - i) Registration [online] ii) Fee Submission [online], if applicable. iii) Online application submission.

d. यदि अभ्यर्थी के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखना चाहिए। If the candidate does not have a valid email id, he/she should create a new valid email ID before applying online and should be kept active during the entire recruitment process.

e. आवेदन के उपर्युक्त चरणों की समय-सीमाएं निम्नानुसार हैं: -The deadlines for the above-mentioned stages of application are as follows: -

- 1. ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण/शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि: 06.01.2025 पर 10:00 a.m.।

  Start Date for Registration/fee submission for Online Application: 06.01.2025 at 10:00 AM.
- 2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 17.02.2025 पर 11.59 p.m.

  Last Date for Submission of Online application: 17.02.2025 at 11.59 PM.
  - f. उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'शुल्क भुगतान प्रक्रिया' के अनुसार 500/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला/सीएसआईआर कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/विदेशी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, बशर्ते कि वे प्रासंगिक/संगत दस्तावेज़ अपलोड करें। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी तरह के रिप्रजेंटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Candidates are required to pay application fee of Rs.500/- as per 'Fee Payment Procedure' available on the website. No fee is payable, subject to uploading of relevant document, for SC/ST/PwBD/Women/CSIR Employees/Ex-Servicemen/Abroad candidates. Applications without the prescribed fee will not be considered and summarily rejected. No representation against such rejection would be entertained.

g. अभ्यर्थी को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर (अधिकतम आकार 50 केबी) तथा संबंधित प्रमाण पत्र (अधिकतम आकार 1 एमबी) ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।

Candidate is required to upload his/her recent passport size scanned colour photograph, signature each [max size 50 KB] and also relevant certificates [max size 1 MB each] at the specified placed in the online application.

h. जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते, और भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य की परीक्षाओं या चयनों के लिए फीस को आरक्षित नहीं रखा जा सकता।

Applications submitted cannot be withdrawn, and fees paid are non-refundable under any circumstances. Additionally, fees cannot be held in reserve for future examinations or selections.

यदि बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI ग्रेड आदि प्रदान करता है, तो उम्मीदवार
 को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा।

इसके अतिरिक्त, संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा जारी रूपांतरण फॉर्मूले की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ रूपांतरण फॉर्मूला जमा/अपलोड नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा।

If the Board, University, or Institute awards CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI grades etc., the candidate must convert these into a percentage using the formula provided by the concerned Board /University/Institution. Additionally, copy of the conversion formula issued by concerned Board/University/Institution must be uploaded along with online application. Failure to submit the conversion formula along with the online application form, if applicable, will result in the application being treated as incomplete.

j. प्रत्येक पोस्टकोड के लिए प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अलग-अलग ईमेल पतों का उपयोग करके एक ही पोस्टकोड के लिए कई ऑनलाइन आवेदन जमा करता है, तो केवल सबसे हाल ही में पूरा किया गया आवेदन ही माना जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन प्रिंट-आउट और किसी भी भुगतान विवरण की एक प्रति रखनी चाहिए, क्योंकि ये आवेदन की समय सीमा के बाद उपलब्ध नहीं होंगे।

Only one application per candidate will be accepted for each postcode. If a candidate submits multiple online applications for the same postcode using different email addresses, only the most recent completed application will be considered. Candidates should retain a copy of the application print-out and any payment details for their records, as these will not be available after the application deadline.

к. एक उम्मीदवार कई पोस्टकोड के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत पोस्टकोड के लिए सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हों। हालाँकि, उम्मीदवार को प्रत्येक पोस्टकोड के लिए अलग से अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ एक अलग आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) पूरा करना होगा।

A candidate can apply for multiple postcodes, provided they fulfill all eligibility criteria for each individual postcode. However, the candidate must complete a separate application (excluding primary/registration details) along with the requisite application fee separately for each postcode.

उम्मीदवार को अपना नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। एक बार आवेदन पत्र पूरा हो जाने के बाद, उम्मीदवार सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सत्यापित या संपादित कर सकते हैं कि यह सटीक और पूर्ण है। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद, उम्मीदवार को आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए ड्राफ्ट आवेदन पर 'SUBMIT' पर क्लिक करना होगा और यदि लागू हो तो भुगतान विवरण अपडेट करना होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, कोई और संशोधन या अमेंडमेंट की अनुमित नहीं होगी। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को जमा करने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी चाहिए। उनसे उचित समय पर हार्ड कॉपी जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।

The candidate must register with their name, email address, and mobile number. After successful registration, the candidate can log in using their credentials to apply through the Online Application Portal. Once the application form is completed, the candidate can upload all relevant supporting documents and verify or edit the application to ensure it is accurate and complete. After finalizing the application, the candidate must click 'Submit' on the draft application and update the payment details, if applicable, to successfully submit the application form. Once the application is submitted, no further modifications or amendments will be permitted. It is important to keep a printout of the completed application form. Candidates should **NOT** send a hard copy of the application after submission. They will be requested to submit a hard copy at the appropriate time.

m. एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, उसमें परिवर्तन या सुधार करने विषयक किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Once submitted, any request for change or correction in the online application form will not be accepted under any circumstances.

n. किसी भी फर्जी या जाली (फैब्रीकेटेड) आवेदन या पंजीकरण के मामले में, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम या फोटो का दुरुपयोग किया गया हो, अभ्यर्थी और/या साइबर कैफे उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

In the event of a fake or fabricated application or registration, that misuses the name or photo of any other person, the candidate and/or cyber café will be held accountable for appropriate legal action.

 वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों /स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/पीएसयू आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने नियोक्ता से प्राप्त ' अनापत्ति प्रमाण पत्र ' (एनओसी) अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन अधूरा माना जाएगा।

Candidates currently working in CSIR/Government Organizations/Autonomous Bodies/Statutory Bodies/Universities/PSU etc., as regular employee, must upload a 'No Objection Certificate' (NOC) from their employer, along with their online application. Failure to do so will rendered the application as incomplete.

- p. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। इस विज्ञापन से संबंधित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <a href="https://www.cdri.res.in">https://www.cdri.res.in</a> देखें।
  - Candidate are advised to check the website regularly. For addendum/corrigendum and updated information regarding this advertisement, please visit our website: <a href="https://www.cdri.res.in">https://www.cdri.res.in</a>
- q. अभ्यर्थियों को कोई पृथक से व्यक्तिगत सूचना/जानकारी नहीं भेजी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

No separate individual information/intimation shall be sent to the candidates. Therefore, candidates are advised to keep visiting this website regularly.

- r. उम्मीदवारों को अलग से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। सभी सूचनाएं और संचार उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे।
  - No separate call letters will be mailed to candidates. All notifications and communications will be sent via email provided by the candidate in the application form.
- s. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगी। यदि बाद में किसी भी चरण में प्रस्तुत की गई जानकारी या विवरण गलत पाया जाता है, तो वे अभियोजन और सिविल अंजाम/परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे।

Any information provided by an applicant in their online application form will be binding on the candidate. They will be liable for prosecution and civil consequences if the information or details submitted are found to be false at any later stage.

नोट: आवेदकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन नियम और डिजाइन विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं पर आधारित हैं और इस संबंध में किसी भी रीप्रजेन्टेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवेदन पोर्टल पर "निर्देश" सेक्शन का संदर्भ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि उम्मीदवार विज्ञापन में बताए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आवेदन बाद की जांच के अधीन हैं और बाद के चरणों में अयोग्यता पाए जाने पर उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। आरिक्षत पदों के लिए नियुक्तियाँ अनंतिम होंगी, उचित चैनलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए लंबित होंगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति का दावा गलत या गलत है, तो बिना किसी कारण बताए और आगे की कानूनी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना उनका रोजगार तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।।

Note: Applicants are advised to strictly adhere to the instructions. The information submitted in the online application will be considered as final for further processing. The validation rules and design of the online application are based on the requirements outlined in the advertisement and no representation in this regard will be entertained. Candidates should carefully read the advertisement and refer to the "Instructions" section on the application portal. Submission of an online application does not guarantee that the candidate meets all eligibility criteria stated in the advertisement. Applications are subject to subsequent scrutiny and may be rejected if ineligibility is discovered at later stages. Appointments for reserved positions will be provisional, pending verification of caste certificates through appropriate channels. If verification reveals that a candidate's claim to SC/ST/OBC/EWS/PwBD status is false or incorrect, their employment will be terminated immediately without assigning any reasons and without prejudice to further legal action as deemed fit.

# 6) <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए:</u> Following documents must be uploaded along with online application form:

- a. 500/- रुपये के आवेदन शुल्क के लिए ई-रसीद/लेनदेन संदर्भ की मुद्रित प्रति (जहां लागू हो)।

  The printed copy of e-receipt/ Transaction reference for the application fee of Rs. 500/- (wherever applicable).
- b. नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ उचित स्थान पर अपलोड किया गया हो।

Recent passport size colour photograph uploaded at appropriate place.

उचित स्थान पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड किया गया हो ।
 Signature of the candidate uploaded at appropriate place.

specified authority, if applicable.

d. नाम और जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष अंकतालिका/जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।

Copy of Matriculation/10th Standard or equivalent marksheet/certificate indicating date of birth or School leaving certificate indicating Date of Birth in support of Name and Date of Birth.

- e. उम्मीदवार/माता-पिता के नाम में परिवर्तन/नाम में विसंगति/नाम में भिन्नता (यदि लागू हो) के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना/शपथ पत्र की प्रति।
  - Copy of Gazette Notification/Affidavit from appropriate authority in support of change of name/ mismatch in name/ variation in name of candidate/ parents (if applicable).
- f. आवश्यक योग्यताओं और किसी उच्चतर योग्यता का समर्थन करने वाले शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और/या अंकपत्रों की प्रतिलिपि।
  - Copy of educational certificate(s) and/or marksheet(s) supporting the essential qualifications and any higher qualifications.
- g. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन जाति प्रमाण पत्र की प्रति, (यदि लागू हो), जिसे भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो,
  Copy of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Class/ Economically Weaker Section/ PwBD certificate(s) in the prescribed Government of India (GoI) format issued by the
- h. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों से 'घोषणा पत्र' की प्रतिलिपि, जिसमें आवेदन में उनके दावे का समर्थन किया गया हो कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।
  - Copy of the 'Form of Declaration' from OBC (Non-Creamy Layer) candidates, supporting their claim in the application that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediate preceding three financial years.
- i. विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही मिहलाओं के लिए उचित न्यायालय से प्राप्त निर्णय/िडक्री की प्रति, तलाक या न्यायिक अलगाव की स्थिति सत्यापित करने के लिए आदेश, यदि लागू हो। इसके अतिरिक्त, एक शपथपत्र जिसमें पुष्टि की गई हो कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
  - Copy of the judgment/decree from the appropriate court of law for widow, divorced, or judicially separated women, to verify the status of divorce or judicial separation, if applicable. Additionally, an affidavit confirming that such candidate has not remarried.
- j. आयु में छूट का दावा करने वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
  - Copy of the certificate issued by the competent authority in the prescribed format for

Departmental candidates claiming age concession.

- k. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो। Copy of experience certificate(s), if any.
- सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता से 'अनापित प्रमाण पत्र' (एनओसी) की प्रतिलिपि।

Copy of the 'No Objection Certificate' (NOC) from the employer for candidates currently working as regular employee in CSIR /Government Organisations /Autonomous Bodies /Statutory Bodies / Universities /PSUs etc.

- m. पीएच.डी. थीसिस/एम.टेक. शोध प्रबंध का एक पृष्ठ का सारांश/सार। One page Synopsis/ Abstract of of Ph.D thesis/ M.Tech dissertation.
- n. एससीआई/समकक्ष समीक्षा पत्रिकाओं आदि में शोध प्रकाशनों की सूची,यदि लागू हो।

List of research publications in SCI / Peer reviewed journals etc., if applicable.

- o. आवेदन में किए गए दावे(ओं) के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो। Any other relevant certificates in support of the claim(s) made in the application, as applicable.
- नोट 1: अपलोड किए गए दस्तावेज़/प्रमाणपत्र सुपाठ्य होने चाहिए

The documents/ certificates uploaded must be legible.

नोट 2: आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों को अपूर्ण मानकर तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Applications without the required document(s) will be considered as incomplete will be summarily rejected.

नोट 3: अभ्यर्थियों को उचित समय पर मूल दस्तावेज तथा उनकी स्व-सत्यापित फोटोप्रतियां साथ लाने को कहा जाएगा।

Candidates will be asked to bring the documents in original along with the self- attested photocopies at an appropriate time.

नोट 4: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, तथा परीक्षा/सेमिनार/साक्षात्कार/टेस्ट के संचालन से संबंधित सभी मामलों में नियक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

The decision of the Appointing Authority in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, and conduct of examination/ seminar/ Interview/ test will be final and binding on the candidates

#### अस्वीकरण/ DISCLAIMER

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले सामने आने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead to disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any of the Recruitment Process in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect. Clarifications / decisions given / to be given by the CSIR, regarding process for recruitment shall be final and binding.

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/Sr. Controller of Administration सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ/CSIR-CDRI, Lucknow

#### प्रमाणपत्रों के प्रारूप/ FORMATS FOR CERTIFICATES:

- 1. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।
  - Format of 'NO OBJECTION CERTIFICATE' from the employer of candidate currently working as regular employee in CSIR/ Government Organisations /Autonomous Bodies /Statutory Bodies/ Universities/ Public Sector Undertakings etc.
- 2. आयु में छूट का दावा करने के लिए विभागीय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।

  The Form of Certificate to be produced by Departmental candidates for claiming age concession.
- 3. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।
  - The Form of Certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
- 4. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।
  - The Form of Certificate to be produced by OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) applying for appointment to posts under the Government of India.
- 5. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)।
  - Form of declaration to be submitted by the OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) candidate (in addition to the community certificate).
- 6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।
  - Income & Assets Certificate to be produced by ECONOMICALLY WEAKER SECTION (EWS) candidate.

## उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप

वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत।

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)	
सं	तिथि: [दिन/माह/वर्ष]
विज्ञापन संख्या [विज्ञापन सं.] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	
यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मच दिनांक] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।	गरी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण
इस विभाग/संगठन को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन तिथि] के तहत विज्ञापित पद [पोस्ट कोड/पद] के शिपति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।	
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के तहत किसी शासि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है।	
यह प्रमाण-पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के प्रयोजनार्थ आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।	
स्थान:	

[विभाग/संगठन का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]
[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]
[संपर्क जानकारी]
[विभाग/संगठन का पता]

# FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT ORGANISATIONS /AUTONOMOUS BODIES /STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS etc.

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No
Suto: [SS/WW/1111]
No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. [Advertisement Number]
his is to certify that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee], [Designation], is a permanent/regular employef this department/organization and has been serving in the capacity of [Current Position] since [Joining late].
his department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advertisement [Advertisement Date] for the position of [Post Code/Position]. The epartment/organization has no objection to Dr./Mr./Ms. [Employee's Name] participating in the selection rocess or being considered for the aforementioned employment in the new position.
is also certified that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is not currently undergoing any penalties under eapplicable conduct rules and Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is neither under suspension, not only vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of the ertificate.
his certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the sai dvertisement.
lace:

For [Name of Department/Organization],

[Signature of Issuing Authority]
[Name of Issuing Authority]
[Designation of Issuing Authority]
[Official Seal/Stamp]
[Contact Information]
[Department/Organization Address]

# आय में छट का दावा करने के लिए विभागीय उम्मीदवारों और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

# (संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं	<b> तारीख:</b> [दिन/माह/वर्ष]
	विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन करने हेतु आयु में छूट का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र
	यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री (संस्थान का नाम)के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं तथा अवधि(ओं) के दौरान उनके द्वारा किए गए कर्तव्य निम्नानुसार हैं:
(i) (ii) (iii)	
प्रमाणि	त किया जाता है कि :
*( <b>क</b> )	डॉ./श्री/सुश्री
	डॉ./श्री/सुश्री के पद पर से तक अस्थायी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत रहे हैं।
	* जो लागू न हो उसे काट दें .
स्थान:	

[संस्थान का नाम],

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर] [जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम] [जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम] [आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]]

Date: [DD/MM/YYYY]

# THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY DEPARTMENTAL CANDIDATES EMPLOYEES FOR CLAIMING AGE CONCESSION

No. ....

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

								•	•
	<u>CERTI</u>	<u>FICAT</u>	E FOR CLA		AGE CONCES TISEMENT N		OR APPLYING	<u> AGAINST</u>	
This	is	to	certify	that	Dr./Mr./Ms	;		S/o/D/o	o/W/o
Shri.				is	a regu	ılarly	appointed	employee	01
				(Name o	f the Institute)	and du	uties performed	by him/her duri	ing
he p	period(s) a	ire as u	ınder:						
(iv) (v)									
(vi)									
Certi	fied that:								
'(a) l	Dr /Mr /Ms	2				hr	olds substantive	ely a permanen	t nosi
(α)								ute) with effect	-
			.to			`		,	
					OR				
'(b)	Dr./Mr./Ms	S			has been con	tinuous	ly in temporary	service on a reç	gular
	basis in	the pos	st of		at		(Name c	of the Institute)	with
	effect fro	m	to						
	* Strike o	ut whicl	h is not appli	icable.					
Plac	e:								

For [Name of the Institute],

[Signature of Issuing Authority]
[Name of Issuing Authority]
[Designation of Issuing Authority]
[Official Seal/Stamp]

## भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री*	पुत्र/पुत्री*	गांव/शहर*	जिला/मंडल*	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	की
जाति/जनजाति* से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के तहत	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजा	ति* के रूप में मान्यता	प्राप्त है-		

- <sup>®</sup> संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
- <sup>@</sup> संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
- <sup>®</sup> संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951
- <sup>@</sup> संविधान (अनुस्चित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र ( पुनर्गठन ) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव ( पुनर्गठन ) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

- <sup>®</sup> संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- ® संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश , 1959 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) आदेश , 1976 द्वारा यथा संशोधित
- <sup>®</sup> संविधान ( दादर और नगर हवेली ii) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- <sup>®</sup> संविधान ( दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- <sup>@</sup>, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- <sup>®</sup> संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश देना, 1968
- <sup>®</sup> संविधान (गोवा, दमन और दिल्ली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- <sup>@</sup> संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- <sup>®</sup> संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- <sup>®</sup> संविधान (सिक्किम्) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
   संविधान (अनुसचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
   संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- <sup>®</sup> संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम वाही करना। 1991
- <sup>®</sup> अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- <sup>®</sup> संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- <sup>®</sup> संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम , 2002
- <sup>@</sup> संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

<sup>&</sup>lt;sup>%</sup> 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

पिता/माता श्री/	श्रीमती/कुमारी*			के		
ाज्य/संघ राज्य क्षेत्र <sub>*</sub>	<del>.</del>	के जो उस ज	जाति/जनज	ाति* से संबं	धित हैं जिसे	
चित जनजाति* के रू	प में मान्यता प्राप्त	है, को दिन	नांक		को जारी	
के आधार पर जारी वि	ज्या जाता है।					
और/या∗	उनका/उनकी*	फैमिली	सामान्यतः	राज्य/संघ	राज्य क्षेत्र*	के
में रहती है	है।					
			हस्ते * - पट	गक्षर का नाम		 I
		(कार्याल	ाय की मुह <sup>्</sup>	र के साथ)	राज्य/संघ राज्	त्य क्षेत्र*
ों होते।						
	ाज्य/संघ राज्य क्षेत्र* चित जनजाति* के रू के आधार पर जारी वि और/या*	ाज्य/संघ राज्य क्षेत्र*ं चित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त के आधार पर जारी किया जाता है। और/या* उनका/उनकी* में रहती है।	ाज्य/संघ राज्य क्षेत्र*के जो उस ज चित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिन के आधार पर जारी किया जाता है। और/या* उनका/उनकी* फैमिली में रहती है। (कार्याल	ाज्य/संघ राज्य क्षेत्र*के जो उस जाति/जनज चित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक के आधार पर जारी किया जाता है। और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः में रहती है। हस्त **पद व	चित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांकके आधार पर जारी किया जाता है।और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघमें रहती है। हस्ताक्षर**पद का नाम (कार्यालय की मुहर के साथ)	ाज्य/संघ राज्य क्षेत्र*के जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे चित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांकको जारी के आधार पर जारी किया जाता है। और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में रहती है। हस्ताक्षर*पद का नाम*पद का नाम

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

- \*\*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ एडिशनल उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट(सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट)/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)।
- (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हों।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं होता

- (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
  - (vii) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी) लक्षद्वीप(

#### टिप्पणी:

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

# The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*		Son/daughter* of
	Territory*	.belongs to the
caste/tribe* which is red under:-	cognized as a Scheduled Caste/Sch	eduled Tribe*
<ul> <li><sup>®</sup> The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1</li> <li><sup>®</sup> The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1</li> <li><sup>®</sup> The Constitution (Scheduled Castes) Union T</li> <li><sup>®</sup> The Constitution (Scheduled Tribes) Union T</li> </ul>	950 erritories Order, 1951	
[as amended by the Scheduled Castes and Sch Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-orga 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation Order (Amendment) Act. 1976., the State of Miz and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation)	inisation Act, 1966, the State of Hin i) Act, 1971, the Scheduled Castes a oram Act, 1986, the State of Arunach	nachal Pradesh Act, i and Scheduled Tribes
© The Constitution (Jammu and Kashmir) Schee © The Constitution (Andaman and Nicobar Islan amended by the Scheduled Castes and Schedu © The Constitution (Dadar and Nagar Have ii) Sc © The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Sc © The Constitution (Pondicherry) Scheduled Ca © The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled To © The Constitution (Goa, Daman and Diu) Sche © The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribe © The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribe © The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes © The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes © The Constitution (Jammu & Kashmir) Schedu © The Constitution (SC) Order (Amendment) Ac © The Constitution (ST) Order (Amendment) Ac © The Constitution (ST) Order (Second Amendr © The Scheduled Castes and Scheduled Tribes © The Constitution (Scheduled Castes) Order (A	ends) Scheduled Tribes Ordr, 1959 as called Tribes Order (Amendment) Act, Schedule Castes Order, 1962 astes Order, 1964 astes Order, 1964 astes Order, 1967 aduled Castes Order, 1968 aduled Tribes Order, 1968 aduled Tribes Order, 1968 as Order, 1970 Order, 1978 and Tribes Order, 1989 at 1990 at, 1991 anent) Act. 1991 anent) Act. 1991 act. 1991 act. 1992 aduled Tribes) Orders (Amendment) Act 2002 aduled Tribes) Orders (Amendment) (Second Amendment) Act, 2002	1976
<sup>%</sup> 2. Applicable in the case of Scheduled Castes State/Union Territory Administration to another,	•	ve migrated from one
This certificate is issued on the basis of the Shri/Shrimati*	Father/ Mother of Shri/	Shrimati/ Kumari*
District/ Division*of the State/ who belong to the caste/tribe* which is recog State/Union Territory* issued by the	Union Territory*gnised as a Scheduled Caste/Sche	duled Tribe* in the

% 3. Shri/Shrimati/Kumari*	and/	or*	his/her*	family
ordinarily resides in village/town*				
District/Division* of the State/Union Territory*				
	Signature* **Designation			
Place: Date:	(With Seal of Office)	State	e/Union Te	erritory*

NOTE: The term "ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

#### Note:

ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICE

<sup>\*</sup> Please delete the words which are not applicable.

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> Please quote specific Presidential Order.

<sup>&</sup>lt;sup>%</sup> Delete the paragraph which is not applicable

## भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले

#### प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री, गांव/कस्बा, जिला/मंडल, के निवासी हैं और
समुदाय से हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या
दिनांक के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। * और/या उनका परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के
के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन
संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.
(आरईएस) और दिनांक 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) की अनुसूची के कॉलम 3
में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।**
हस्ताक्षर
पदनाम <sup>\$</sup>
दिनांक:
मुहर

- \* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई है।
- \*\* समय-समय पर संशोधित।
- \$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।
- नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

# FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This	is	to	certify	that	Shri/Sm	t./Kumari			son/daı	ughter
of				vil	lage/town_				_in	
Distric	t/Divisi	on b	elongs to	o the_				_community	whi	ch is
recogr	nised a	as a b	ackward c	lass und	er the Go	vernment	of India, Minis	stry of Social	Justic	e and
Empo	werme	nt's	Resolut	ion	No					dated
			*	and/o	r his	family	ordinarily	reside(s)	in	the
					District	t/Division				of
the					State	e/Union Te	rritory. This is	also to certif	y that h	ne/she
does r	ot bel	ong to	the persor	ns/sectio	ns (Cream	ıy Layer) m	entioned in Co	olumn 3 of the	Sched	lule to
the Go	vernn	nent of	f India, De	partmen	t of Perso	nnel & Tra	ining O.M. No	. 36012/22/9	3-Estt.	(SCT)
dated	8.9.19	93, ON	Л No. 3603	33/3/2004	- Estt. (Re	es) dated 9	th March, 2004	4, O.M. No. 3	6033/3	/2004-
Estt. (F	Res) da	ated 1	4th Octobe	r, 2008 a	nd O.M. N	o. 36033/1	/2013-Estt. (R	es) dated 27th	n May, 2	2013**
							Signa	ture		
Dated:							Designation			\$

Seal

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

<sup>\*</sup> The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

<sup>\*\*</sup> As amended from time to time.

<sup>\$</sup> List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

'अन्य पिछड़ा वर्ग' के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घ	षिणापत्र का प्रारूप (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)
मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी गांव/कस्बा/शहर	जिला राज्य एतद्वारा घोषणा करता हूं
कि मैं समुदाय से हूं जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी)  दिनांक 8-9-
1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजना	र्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी
घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-	9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण)
दिनांक ९ मार्च, २००४ और कार्यालय ज्ञापन संख्या ३६०३३/३	/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-
समय पर संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तिय	ों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की व्र	<b>गीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम</b>
तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।	
स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	पूरा नाम
	पता_

# FORM OF DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE 'OTHER BACKWARD CLASS' CANDIDATE (IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)

		Son/daughter	of
Shri			
	resident		of
village/town/city			
district	state	hereby declare that	I belong
to the			
	community which	is recognized as a backward	class by
the Government of India for the	e purpose of reservati	on in services as per orders co	ontained
in Department of Personne	I and Training Office	ce Memorandum No. 36102	2/22/93-
Estt.(SCT) dated 8- 9-1993. I	t is also declared tha	t I do not belong to persons/s	sections
(Creamy Layer) mentioned in		•	
Memorandum dated 8-9-1993			
and O.M. No. 36033/3/2004-E		, ,	
to time.	,	,	
I also declare that the conditio	n of status/annual inc	come for creamy laver of my	
Parents/guardian is within pre			
Taronto, gadraian lo within pro		act date of application.	
	Sig	nature	
		Name	
		ress	
	,		
Place:			
Place:			
Date:			

	सरकार
	(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम
	और पता)
आर्थिक रू प्रमाणपत्र सं	ूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र 
वर्ष	के लिए वैध
यह प्रमाणित कि ग्राम/गली, जिसका फोटो नीचे आय* वित्तीय वर्ष	या जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी 
	ह के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है**: 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक; 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ; अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. श्री/श्रीमती/सुश्री	ो जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
(केन्द्रीय सूची) के	रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
	कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट	

आकार का सत्यापित फोटो

\* नोट 1 : आय में सभी स्रोत शामिल थे, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता \*\*नोट 2:

और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पित/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

\*\*\*नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों
या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

Annexure - VI

# **Government of** ..... (Name & Address of the authority issuing the certificate) INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY **WEAKER SECTIONS** Certificate No..... Date:.... . . . . . . . . . . VALID FOR THE YEAR..... This is to certify that Shri/Smt./Kumari...... son/ daughter/ wife of resident of. permanent ......Villa Post Office, Territory......Pin Code......whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her family\*\*is below Rs. 8 lakhs (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/her family does not own or possess any of the following assets\*\*: I. 5 acres of agricultural land and above; Residential flat of 1000 sq. ft. and above II. III. Residential plot of 100 Sq. Yards and above in notified municipalities; Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than IV. the notified municipalities. 2. Shri/Smt./Kumari..... belongs to the..... caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office.....

Name
Designation
•••••

Recent
passport size
attested
photograph of
the applicant
"Note 1":

Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

\*\*Note 2 : The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

\*\*\*Note 3 : The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.